

न्यूज टुडे

जल शक्ति मंत्रालय ने "डायनैमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024" जारी की

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 2022 से प्रतिवर्ष भूजल संसाधनों का आकलन किया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ▶ **पुनर्भरण:** साल 2024 में भारत में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) रहा। यह साल 2023 के 449 BCM से थोड़ा कम है। इसमें वर्षा का योगदान लगभग 61% है।
- ▶ **जल की निकासी (यानी निकालना):** वार्षिक निकासी योग्य भूजल संसाधन 2023 में 407.21 BCM था। यह 2024 में मामूली रूप से घटकर 406.19 BCM हो गया।
 - ⊕ भूजल दोहन का समय स्तर 59.21% से मामूली रूप से बढ़कर 60.47% हो गया है।
- ▶ **वर्गीकरण**
 - ⊕ सुरक्षित रूप में वर्गीकृत आकलन इकाइयां 2023 की 73% की तुलना में मामूली रूप से बढ़कर 2024 में 73.4% हो गई थीं।
 - ⊕ 3.05% आकलन इकाइयों को 'गंभीर' (Critical) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
 - ⊕ 11.1% आकलन इकाइयां 'अति-दोहन की गई' (Over-exploited) श्रेणी में वर्गीकृत की गई हैं।
 - ◆ 'अति-दोहन की गई' इकाइयों का संकेन्द्रण: उत्तर-पश्चिम (पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश); पश्चिम (राजस्थान एवं गुजरात); तथा दक्षिण (कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश)।
 - » अति दोहन: एक वर्ष में भूजल का जितना पुनर्भरण (रिचार्ज) होता है, उससे अधिक जल की निकासी को अति-दोहन कहा जाता है।
 - ◆ 'गंभीर': वार्षिक आधार पर जितना दोहन योग्य भूजल संसाधन उपलब्ध है, उसका 90-100% दोहन 'गंभीर' स्थिति मानी जाती है।
 - ◆ 'सुरक्षित': भूजल पुनर्भरण का 70% से कम दोहन 'सुरक्षित' स्थिति है।

भूजल में कमी के लिए उत्तरदायी कारक

- ▶ **सिंचाई:** सिंचाई के लिए अत्यधिक भूजल का उपयोग किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 60% भूजल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, बहुत अधिक जल से सिंचाई (खेत को पानी से भरना), चावल जैसी अत्यधिक जल की मांग वाली फसलों को उगाना आदि खराब कृषि पद्धतियां भी जिम्मेदार हैं।
- ▶ **पुनर्भरण:** वनस्पति की हानि, वर्षा में स्थानिक और अस्थायी भिन्नता आदि के कारण भी भूजल पुनर्भरण में कमी आती है।
- ▶ **जलवायु परिवर्तन:** अनियमित वर्षा पैटर्न भूजल पुनर्भरण को प्रभावित कर रहा है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के बारे में

- ▶ **उत्पत्ति:** CGWB का गठन 1970 में किया गया था। यह भूजल और उससे जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक शीर्ष निकाय है।
- ▶ **कार्य:**
 - ⊕ भूजल से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास करना;
 - ⊕ भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं सतत विकास और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी व कार्यान्वयन करना आदि।

केंद्र ने मॉडल जेल मैनुअल, 2016 और आदर्श जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में संशोधन किया

गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के नियमों और आदर्श जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव एवं वर्गीकरण को समाप्त करना है।

- ▶ ये संशोधन सुकन्या शांता बनाम भारत संघ और अन्य मामले में, कैदियों के बीच जाति-आधारित भेदभाव उन्मूलन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किए गए हैं।
 - ⊕ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जेल मैनुअल में "आदतन अपराधियों" का उल्लेख संबंधित राज्य के आदतन अपराधी कानून में दी गई परिभाषाओं के अनुसार होना चाहिए।
 - ◆ आदतन अपराधी वे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अलग-अलग अपराधों के लिए पांच वर्षों के भीतर कई बार दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा, अपील या समीक्षा पर भी उनकी सजा को कम या खत्म नहीं किया जाता है।

किए गए मुख्य संशोधनों पर एक नजर

- ▶ **जेल प्राधिकारी सख्ती** से यह सुनिश्चित करेंगे कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं किया जाए। इसमें जेल के भीतर कर्तव्यों या काम का आवंटन भी शामिल है।
 - ⊕ जाति के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), आदि के तहत निषिद्ध है।
- ▶ 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के प्रावधान जेलों एवं सुधार संस्थानों पर बाध्यकारी प्रभाव डालेंगे।
 - ⊕ जेल के अंदर हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक टैंक की मैनुअल रूप से खतरनाक तरीके से सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारत में जेल

- ▶ "जेल/ उनमें निरुद्ध व्यक्ति" संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के तहत 'राज्य सूची' का विषय है। इस प्रकार, जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
- ▶ यह जेल अधिनियम, 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल मैनुअल द्वारा शासित है।
 - ⊕ हालांकि, आदर्श जेल अधिनियम, 2023 ने जेल अधिनियम, 1894 का स्थान ले लिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अपील न्यायालय ने नेट न्यूट्रैलिटी के खिलाफ फैसला सुनाया

हाल ही में, एक अमेरिकी अपीलीय न्यायालय ने फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के नेट न्यूट्रैलिटी लागू करने के प्रयासों के खिलाफ फैसला सुनाया। यह अमेरिका और भारत में नेट न्यूट्रैलिटी के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन अमेरिका का दूरसंचार विनियामक है।

- नेट न्यूट्रैलिटी इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि लोगों के लिए अधिकतम उपयोगी सार्वजनिक सूचना नेटवर्क या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर मौजूद सभी कंटेंट्स, साइट्स और प्लेटफॉर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।
- दूसरे शब्दों में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को सेवा, एप्लीकेशन, प्रेषक या प्राप्तकर्ता के आधार पर इंटरनेट ट्रैफिक में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए।

भारत में नेट न्यूट्रैलिटी संबंधी फ्रेमवर्क

- 2018 में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने नेट न्यूट्रैलिटी पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया था।
- इसमें इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज द्वारा कंटेंट के प्रति गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार के सिद्धांतों को शामिल किया गया था।
- हालांकि, यह कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), विशिष्ट सेवाओं आदि के लिए गैर-भेदभाव नियमों से संबंधित कुछ अपवादों की अनुमति देता है।

नेट न्यूट्रैलिटी पर बहस

पक्ष में तर्क

- उपयोगकर्ता का अधिकार:** प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी सेंसरशिप या हस्तक्षेप के ऑनलाइन स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने का मूल अधिकार है, तथा बिना किसी रुकावट के इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार प्राप्त है।
- गोपनीयता:** नेट न्यूट्रैलिटी के बिना, ISPs इंटरनेट ट्रैफिक की जांच और उसमें हेरफेर कर सकते हैं। इससे उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता हो सकता है।
- नवाचार एवं उद्यमिता:** नेट न्यूट्रैलिटी, स्टार्ट-अप तथा बड़ी दिग्गज टेक-कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर सकती है।

विपक्ष में तर्क

- ISPs के लिए राजस्व की हानि:** फाइबर आधारित अवसंरचनाओं और नई एक्सेस बेस स्टेशन प्रौद्योगिकियों में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- समान अवसर का अभाव:** भारत में दूरसंचार प्रदाताओं को वॉयस कॉल और संदेश जैसी समान सेवाओं के लिए उच्च लागत एवं विनियामकीय अनुपालन का सामना करना पड़ता है।
- OTA ऐप्स पर चयनात्मक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता:** अशांत क्षेत्रों में इंटरनेट को पूरी तरह से शटडाउन करने की बजाय, संचार सेवाएं प्रदान करने वाले कुछ OTA ऐप्स को चुनिंदा रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में बाधाएं उत्पन्न न हों।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारतीय कॉफी निर्यात पहली बार 1 बिलियन डॉलर को पार कर गया

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नामक थिंक टैंक के अनुसार, 2024 में भारतीय कॉफी का निर्यात 1.68 बिलियन डॉलर को पार कर गया। यह मूल्य (डॉलर में) के हिसाब से 45% की वृद्धि को दर्शाता है।

निर्यात में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक:

- रोबस्टा कॉफी की कीमतों में उछाल: वैश्विक स्तर पर कॉफी की खपत में वृद्धि के कारण 2024 में कॉफी की कीमतों में 60% से अधिक की वृद्धि हुई, जो 45 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।
- इसका कारण खराब मौसम (जैसे सूखा) था। इससे ब्राजील और वियतनाम जैसे प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों से आपूर्ति बाधित हो गई।
- यूरोपीय यूनियन डिफ़ॉरिस्टेशन रेगुलेशन (EUDR): इसके तहत, उन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जो वनों की कटाई से जुड़े क्षेत्रों में उगाए गए हैं। इसके कारण यूरोपीय आयातकों ने कॉफी जैसे उत्पादों का पहले से ही अधिक मात्रा में स्टॉक करना शुरू कर दिया है। इससे वैश्विक स्तर पर कॉफी के निर्यात में वृद्धि हुई है।

कॉफी उत्पादन की स्थिति

- भारत 2022-23 में विश्व का आठवां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया था।
- ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 40% का योगदान देता है।
- इसकी दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पारंपरिक रूप से खेती की जाती है। इसका उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में कर्नाटक (सर्वाधिक), केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं।
- अरेबिका और रोबस्टा कॉफी का प्रमुख आर्थिक महत्व है।
- अरेबिका की गुणवत्ता रोबस्टा से बेहतर होती है और इसकी कीमत भी रोबस्टा की तुलना में अधिक होती है।
- भारत रोबस्टा का पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश के कुल कॉफी उत्पादन में इसकी लगभग 72% हिस्सेदारी है।



कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं

कारक	अरेबिका	रोबस्टा
मिट्टी	गहरी, उपजाऊ, कार्बोनिक पदार्थों से भरपूर, अच्छी जल निकासी वाली और थोड़ी अम्लीय मृदा (PH 6.0-6.5)	अरेबिका के लिए उपयुक्त मृदा के समान मृदा
ढलान	हल्की से मध्यम ढलान वाले क्षेत्र	काफी समतल मैदानों से लेकर हल्की ढलान वाले क्षेत्र
ऊंचाई	इसकी खेती समुद्र तल से 1000-1500 मीटर तक की ऊंचाई तक की जा सकती है	इसकी खेती समुद्र तल से 500-1000 मीटर तक की ऊंचाई तक की जा सकती है
तापमान	15-25 डिग्री सेल्सियस; न ज्यादा गर्म और न ही बहुत ठंडा	20-30 डिग्री सेल्सियस; गर्म व आर्द्र
सापेक्षिक आर्द्रता	70-80%	80-90%
वार्षिक वर्षा	1600-2500 मि.मी.	1000-2000 मि.मी.

संयुक्त राष्ट्र-खाद्य एवं कृषि संगठन (UN-FAO) ने "सांख्यिकी ईयरबुक: विश्व खाद्य और कृषि 2024" जारी की

हाल ही में, खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने 'सांख्यिकी ईयरबुक' जारी की है। इस ईयरबुक में वैश्विक खाद्य एवं कृषि क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सांख्यिकी ईयरबुक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **कृषि के आर्थिक आयाम:**
 - ⊕ वैश्विक GDP में कृषि का हिस्सा 2000 से लगभग 4% की दर पर स्थिर बना हुआ है।
 - ⊕ वैश्विक कार्यबल का 26% हिस्सा यानी 892 मिलियन लोग वर्तमान में कृषि क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जबकि वर्ष 2000 में यह आंकड़ा 40% था।
 - ◆ 2022 में भारत में कृषि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या सबसे अधिक 226 मिलियन थी।
 - ⊕ 2022 में, भारत की 76 मिलियन हेक्टेयर भूमि और चीन की 75 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र के अधीन थी।
- **कृषिगत जिनसों का उत्पादन, व्यापार और कीमत**
 - ⊕ दोनों अमेरिका महाद्वीप और यूरोप अनाज के सबसे बड़े निर्यातक बने हुए हैं। एशिया अनाज का सबसे बड़ा आयातक है।
 - ⊕ भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश है। 2022 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में इसने 23% का योगदान दिया था। गन्ना उत्पादन और मात्स्यिकी में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।
- **खाद्य सुरक्षा एवं पोषण**
 - ⊕ 2023 में, दुनिया की 9.1% आबादी (लगभग 733 मिलियन लोग) भुखमरी का सामना कर रही थी।
 - ⊕ सभी महाद्वीपों में, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में खाद्य असुरक्षा का अधिक सामना करना पड़ता है।
- **कृषि की संधारणीयता और पर्यावरणीय पहलू**
 - ⊕ 2000 से 2022 के बीच वैश्विक स्तर पर 91 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि कम हो गई थी। इसी अवधि में 109 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र का नुकसान हुआ था।
 - ⊕ 2000 से 2022 के बीच, कृषि-खाद्य प्रणालियों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 10% की वृद्धि हुई थी।

FAO के बारे में

- इसे 1945 में स्थापित किया गया था।
- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह दुनिया में भुखमरी उन्मूलन (SDG 2) के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- सदस्यता: भारत सहित 195 सदस्य (194 देश और यूरोपीय संघ)।
- मुख्यालय: रोम (इटली)।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सैंधव लिपि को पढ़ने वाले को 1 मिलियन डॉलर का पुरस्कार देने की घोषणा की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने और उसके शब्दों का अर्थ बताने वाले को 1 मिलियन डॉलर का पुरस्कार देने की घोषणा की।

सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में

- **प्रसार:** यह लिपि लगभग 60 उत्खनन स्थलों से प्राप्त हुई है। वर्तमान में, इस लिपि के लगभग 3500 नमूने पत्थर पर उकेरी गई मुहरों, ढले हुए टेराकोटा और फेयॉन्स से बने ताबीजों, मुद्राओं के टुकड़ों आदि के रूप में बचे हुए हैं।
- **लेखन शैली:** सैंधव लिपि एक अज्ञात लेखन प्रणाली है। इसमें मिले अभिलेख आमतौर पर बहुत छोटे हैं, जिनमें औसतन पांच प्रतीक अक्षर हैं।
 - ⊕ इसे आमतौर पर दाएं से बाएं लिखा गया है। लंबे लेखों में कभी-कभी बौस्ट्रोफेडॉन शैली का प्रयोग किया गया है।
 - ◆ बौस्ट्रोफेडॉन शैली में पहली पंक्ति दाएं से बाएं और अगली पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती है।
- **लिपि की संरचना:** इसमें आंशिक रूप से चित्रात्मक प्रतीक अक्षरों का उपयोग किया जाता था। इसमें मानव और पशु रूपांकन, विशिष्ट 'यूनिकॉर्न' प्रतीक, "नियंत्रित यथार्थवाद" दिखाने वाले कलात्मक डिजाइन आदि शामिल हैं।
- **लेखन माध्यम और विधियाँ:** इसमें मुहरों, पट्टियों और तांबे की पट्टियों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा सामग्रियों में टेराकोटा, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, शंख, हड्डी, हाथी दांत, पत्थर, धातु व कपड़े और लकड़ी जैसी समय के साथ क्षय होने वाली सामग्री शामिल थीं।
 - ⊕ लिपि को नक्काशी, उत्कीर्णन, छिलाई, जड़ाई, चित्रकारी, ढलाई और उभार के माध्यम से लिखा जाता था।

सैंधव लिपि को समझने का महत्व

- **ऐतिहासिक:** इससे सिंधु घाटी सभ्यता और बाद की वैदिक प्रथाओं के बीच संबंध तथा अन्य समकालीन सभ्यताओं के साथ उनके संबंधों को उजागर किया जा सकता है।
- **भाषाई और नृजातीय संबंध:** इससे सैंधव भाषाओं और द्रविड़ व इंडो-यूरोपीय परिवारों की समकालीन भाषाओं के बीच संबंध स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में

- **अवधि:** प्रारंभिक हड़प्पा काल (3500-2600 ईसा पूर्व), परिपक्व हड़प्पा काल (2600-1900 ईसा पूर्व), और उत्तर हड़प्पा काल (1900-1300 ईसा पूर्व)।
- **खोज:** 1924 में जॉन मार्शल द्वारा।
- **प्रमुख स्थल:** हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, आदि।

अन्य सुर्खियां



नैनोपोर प्रौद्योगिकी

वैज्ञानिकों ने नैनोपोर तकनीक पर आधारित एक ऐसा उपकरण विकसित किया है, जो बीमारियों का निदान बहुत तेजी से और ज्यादा सटीकता के साथ कर सकता है। यह उपकरण अलग-अलग अणुओं से मिलने वाले संकेतों का विश्लेषण करके बीमारियों का निदान करता है।

नैनोपोर प्रौद्योगिकी के बारे में

- यह प्रौद्योगिकी एक पतली झिल्ली संरचना में लगे नैनो-स्केल छिद्रों को संदर्भित करती है। ये नैनो-स्केल छिद्र नैनोपोर से छोटे आवेशित जैविक अणुओं के छिद्र से गुजरने पर संभावित परिवर्तन का पता लगाते हैं।
- यह प्रौद्योगिकी रियल टाइम में जैविक नमूनों से सीधे न्यूक्लिक एसिड-DNA (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) या RNA (राइबोन्यूक्लिक एसिड) को अनुक्रमित करने की क्षमता प्रदान करती है।
- इस प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग हैं:
 - ⊕ डिजीज मार्कर का पता लगाना, और
 - ⊕ कैंसर का नॉन-इनवेसिव प्रारंभिक निदान।



कोंडा रेड्डी जनजाति

हाल ही में कोंडा रेड्डी जनजाति महंगे पारंपरिक विवाह करने की बजाय लिव-इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देने के कारण चर्चा में है।

कोंडा रेड्डी जनजाति के बारे में

- इसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **निवास स्थान:** यह जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के पूर्व व पश्चिम गोदावरी और खम्माम जिलों के पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करती है।
- **मातृभाषा:** इनकी मातृभाषा तेलुगु है।
- **परिवार और विवाह:** परिवार पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय होता है। सामान्यतः एकल विवाह की प्रथा का प्रचलन है। हालांकि, बहुविवाह वाले परिवार भी देखे जाते हैं।
- **आस्था और त्यौहार:** यह जनजाति मुतयालम्मा (ग्राम देवता), भूमि देवी (पृथ्वी देवी), गंगम्मा देवी (नदी देवी) आदि की पूजा करती है। यह ममीदी कोठा, भूदेवी पांडुंगा, गंगम्मा पांडुंगा और वाना देवुडु पांडुंगा जैसे त्यौहार मनाती है।



नेट-जीरो बैंकिंग एलायंस (NZBA)

गोल्डमैन साक्स ग्रुप इंक सहित वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंकों आदि ने NZBA से बाहर निकलने की घोषणा की है।

नेट-जीरो बैंकिंग एलायंस (NZBA) के बारे में

- यह बैंकों द्वारा संचालित और संयुक्त राष्ट्र द्वारा समन्वित एक समूह है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने, निवेश, और पूंजी बाजार संबंधी गतिविधियों को 2050 तक हासिल किए जाने वाले नेट-जीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप करना है।
- कोई भी भारतीय बैंक NZBA का सदस्य नहीं है।
- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) वित्त पहल के तहत प्रिंसिपल्स फॉर रीस्पॉन्सिबल बैंकिंग (PRB) की जलवायु संबंधी एक पहल है।



डोजर पुश खनन विधि

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)-केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (CSIR-CIMFR) ने डोजर पुश माइनिंग विधि के लिए सफलतापूर्वक पहला परीक्षण विस्फोट किया।

डोजर पुश माइनिंग विधि के बारे में

- इस विधि में बिना मानवीय हस्तक्षेप वाले स्वचालित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यह खनन प्रक्रिया को बेहतर बनाते हुए कंपन और विस्फोट से उड़ने वाले पथरों को सुरक्षित सीमाओं के भीतर ही रखती है।
- पारंपरिक खनन की तुलना में महत्त्व:
 - ⊕ कोयले की तेजी से निकासी;
 - ⊕ प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाली देरी में कमी;
 - ⊕ अत्यधिक किफायती;
 - ⊕ मानवीय श्रम से जुड़े जोखिमों में कमी, आदि।



गुरुत्वीय तरंगें (Gravitational Waves)

अब तक निर्मित सबसे बड़े गुरुत्वीय तरंग डिटेक्टर का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की है कि ब्रह्मांड में गुरुत्वीय तरंगों का एक निरंतर कंपन होता रहता है।

गुरुत्वीय तरंगों के बारे में

- ये अदृश्य और तीव्र तरंगें हैं, जो प्रकाश की गति से गमन करती हैं। साथ ही, ये अपने मार्ग में आने वाले ओब्जेक्ट्स में संकुचन और विस्तार करते हुए गमन करती हैं।
- 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी।
 - ⊕ उन्होंने प्रदर्शित किया था कि अत्यधिक द्रव्यमान वाले तीव्र गति से घूर्णन करते पिंड स्पेस-टाइम में संकुचन और विस्तार करते हैं। साथ ही, ये तरंगें स्रोत से सभी दिशाओं में गमन करती हैं।
- 2015 में, LIGO का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाया था।
- ⊕ LIGO- लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी।



पंचायत से पार्लियामेंट 2.0

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया।

पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 के बारे में

- इसे राष्ट्रीय महिला आयोग और लोक सभा सचिवालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है।
- इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजातियों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। साथ ही, उन्हें संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं, और शासन प्रणाली की जानकारी देकर प्रभावी नेतृत्व के लिए प्रेरित भी करना है।



विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से NGOs द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 के उल्लंघन की रिपोर्टिंग करने को कहा है।

- अधिनियम के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि किसी एंजोसिपेशन या NGO ने प्राप्त विदेशी अंशदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है, जिसके लिए वह पंजीकृत है।

FCRA, 2010 के बारे में

- इसे संसद ने FCRA, 1976 को निरस्त करने के बाद बनाया था। इसका उद्देश्य निर्धारित व्यक्तियों, संगठनों या कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करना है।
- FCRA में 2020 के संशोधन ने कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए हैं, जैसे विदेशी धन के धरेलू अंतरण पर रोक लगाना, विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए विदेशी धन से प्रशासनिक व्यय को 20% तक सीमित करना आदि।



प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-ऊषा/ PM-USHA)

केंद्र ने पीएम-ऊषा/ PM-USHA के तहत ओडिशा में अलग-अलग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अवसंरचना विकास के लिए 676.70 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

पीएम-ऊषा/ PM-USHA के बारे में

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के आलोक में, 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) योजना को PM-USHA के रूप में शुरू किया गया था।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का वित्त-पोषण करना है। इससे निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप इनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा।
- योजना के फोकस क्षेत्र
 - ⊕ उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और समावेशन सुनिश्चित करना।
 - ⊕ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया विकसित करना।
 - ⊕ जिन संस्थानों को प्रत्यायन (Accreditation) प्राप्त नहीं है, उन्हें प्रत्यायन प्रदान करना तथा प्रत्यायन प्रदायगी में सुधार करना।
 - ⊕ सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित डिजिटल अवसंरचना विकसित करना।
 - ⊕ बहु-विषयक माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाना।

सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व



सावित्रीबाई फुले (1831-1897)

हाल ही में प्रख्यात समाज सुधारक और शिक्षाविद् सावित्रीबाई फुले की जयंती (03 जनवरी) देशभर में मनाई गई।

सावित्रीबाई फुले के बारे में

- उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था।
- वह पुणे में स्थापित देश के प्रथम बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाध्यापिका थीं।
- महत्वपूर्ण योगदान
 - ⊕ उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शूद्रों और अति-शूद्रों को शिक्षित करने के प्रति समर्पित कर दिया था।
 - ⊕ 1873 में, उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर सत्यशोधक विवाह की प्रथा का आरंभ किया था। इस प्रथा में विवाह बिना दहेज या न्यूनतम खर्च पर संपन्न होता था।
 - ◆ उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। सावित्रीबाई ने कई विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह भी कराया था।
 - ⊕ 1854 में उनका पहला कविता संग्रह काव्यफुले प्रकाशित हुआ था। इससे वह मराठी की पहली आधुनिक कवयित्री बन गई थीं।
- मूल्य: समतावाद, न्याय, दोषसिद्धि का साहस, आदि।

